9/3/24 परिवादी द्वारा पेशी से अवगत की गई कि विपक्षी वादी उपा. कमीशनरी के पास नहीं उप घोषित वाद नहीं पाषाणेत्तर अदेयता पर स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्रा० मिसिल किया गया। अतः वादी का वाद NO + Press से खारिज किया जाता है। परिवादी वाद खर्चा हर्जा हमेशा निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

श्रीमानजी
मेरा वाद खारिज कर दिया जाये हमारे राजीनामा हो चुका है। मैं डिक्री वाद में कोई जारी वाही नहीं चाहता हूँ

रघुवीर मीणा
7-3-2024